आर्मी के कमांडों को शिप्रापथ थाने के पुलिसकर्मियों ने निर्वस्त्र करके डंडों से पीटा

पुलिसकर्मियों ने आर्मी के जवान को अपराधियों के बीच बैठाकर यह कहते हुए जलील भी किया कि "पुलिस, भारतीय सेना की बाप है।"

जयपुर (कासं)। सेना के कमांडो सीमा पर भले ही दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं, लेकिन अपने घर में पुलिस से हार जाते हैं। जयपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। मानसरोवर के शिप्रा पथ थाने में पुलिस ने सेना के एक कमांडो को न सिर्फ निर्वस्त्र कर डंडों से पीटा, बल्कि अपराधियों के बीच बैठाकर पुलिसकर्मियों ने कहा "पुलिस, भारतीय सेना की बाप है।" इसकी शिकायत कमांडो ने जब सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से की तो वे सोमवार को थाने पहुंचे और ए.सी.पी. संजय शर्मा को जमकर फटकार लगाई। राठौड़ ने खुद यह घटनाक्रम मीडिया को बताया।

दरअसल, 11 अगस्त को सेना के कमांडो अरविंद अपने परिचित जवान के केस के सिलसिले में जानकारी लेने थाने गए थे। थाने में पुलिसवालों ने ठीक से व्यवहार नहीं किया। उन्होंने खुद के सेना में होने का परिचय दिया। आरोप है कि सब इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मियों ने कमांडो को गालियां देते हुए पीटना शुरू कर दिया और हवालात में डालकर कपड़े उतारकर पीटा। कमांडो को जमकर जलील किया गया। कमांडो अभी बारामूला जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। पीड़ित ने इसकी शिकायत सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से की। सेना के कमांडो से मारपीट पर मंत्री इतने नाराज हुए कि थाने पहुंच गए। कर्नल राठौड़ ने सोमवार को थाने पहुंचकर पुलिसवालों से कमांडो के साथ मारपीट करने पर सवाल-जवाब किए। इस दौरान पुलिस के कई वरिष्ठ अफसर भी पहुंच गए। मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने मोबाइल में पीड़ित के साथ मारपीट के सबूत दिखाए। इस पर ए.सी.पी. संजय शर्मा ने तर्क दिया कि कमांडो ने पुलिसकर्मियों को गाली दी, मुझे भी गाली दी है।

नाराज मंत्री राठौड़ ने ए.सी.पी. संजय शर्मा के बीच में बोलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए फटकार लगाई। राज्यवर्धन ने कहा कि, संजय जी, जब मैं बात कर रहा हूं तो आप क्यों बोल रहे हैं? आपको तो बेसिक प्रोटोकॉल ही नहीं पता, मैं बात कर रहा हूं न। आप वहां किससे बात कर रहे हैं? उसे छोड़िए गाली तो बहुत छोटी चीज हो गई। ये तो मुझसे ही लड़ना चाहते हैं। मैं यहां धैर्य से सब सुन रहा हूं, लेकिन संजय शर्मा कंटेस्ट करना चाहते हैं। जब आपसे बात की जाए तो जवाब दीजिए, नहीं तो सावधान में खड़ा रहिए। यहां नहीं खड़े रहना चाहते तो अपने दफ्तर जाइए।

राज्यवर्धन ने कहा कि, "आपने बेसिक मैनर्स नहीं सीखे। पुलिस के अंदर वर्दी है तो अलग रौब हो गया है। कोई धैर्य, कोई पेशेंस, कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? आप ऐसे लोगों को सामने क्यों रखते हो? मैंने आपको धैर्य से कॉल किया, वो तो मुझसे ही लड़ रहे हैं। उसको गाली दी या नहीं, भाड़ में जाए। आपने सेना में कमांडो को निर्वस्त्र करके डंडे मारे या नहीं मारे?

मंत्री राज्यवर्धन ने पुलिस अफसरों से कहा कि, जिसके पास ताकत होती है, उसको धैर्य की बहुत जरूरत है। धैर्य होना चाहिए। जब हम सेवा में थे। हमारे को लोग गाली-गलौज नहीं करते थे क्या? हमसे भी बहुत गाली गलौच करते थे, लेकिन ध्यान नहीं देते थे। फर्क नहीं पड़ता। जिसको बोलना है, बोलने दें। हम अपना काम करते थे। आप अपना काम करते रहिए। आपको दिखाने की क्या जरूरत पड़ गई कि कौन ज्यादा ताकतवर है?

शिप्रापथ थाने में मंत्री राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि, कश्मीर में तैनात कमांडो जयपुर आता है। उस कमांडो को पकड़कर पुलिसकर्मियों ने निर्वस्त्र करके डंडों से खूब पिटाई की। फिर निर्वस्त्र करके लोगों के बीच में बैठाकर पुलिसकर्मी उसे दोहराते हैं कि पुलिस, भारतीय सेना की बाप है। यह अत्यंत दु:ख की बात है। यह घिनौनी मानसिकता दिखाता है। मैं वर्दी में रहा हूं। राजस्थान पुलिस पर विश्वास है कि ऐसी घिनौनी मानसिकता वाले पुलिसवालों की जांच और इलाज करवाएं। ऐसे लोग समाज के लिए खतरा है। देश की रक्षा करने वालों को वर्दी की धौंस दिखाना कायरता है।

राठौड़ ने कहा कि यह सरकार के जीरो टोलरेंस में आता है। पुलिस को पावर देश के संविधान और सरकार ने दी है। उसके पीछे जिम्मेदारी भी है। मैंने सैनिक की मेडिकल रिपोर्ट देखी है, तस्वीरें देखी हैं। एक भारतीय सैनिक को पांच-पांच पुलिसवाले मिलकर बुरी तरह पीट रहे हैं। उसे बिना कारण मारा गया। मैंने डीजीपी और पुलिस कमिश्नर से बात की है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन मुझे लगा कि एक सैनिक के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है तो मेरा यहां आना जरूरी था, इसलिए यहां आया।

वहीं सब इंस्पेक्टर बन्ना लाल का कहना है कि, अधिकारियों के निर्देशानुसार हुक्का-बार पर कार्रवाई की गई थी। मुझे किसी को छोड़ने के आदेश नहीं थे। सिफारिश करने आए व्यक्ति ने रौब जताना शुरू कर दिया था। अभद्रता करने पर उसके खिलाफ भी रोजनामचे में रपट डालकर कार्रवाई की गई। मेरे जाने के बाद किन पुलिसकर्मियों से उसकी कहासुनी-मारपीट हुई, इस बारे में मुझे पता नहीं है।

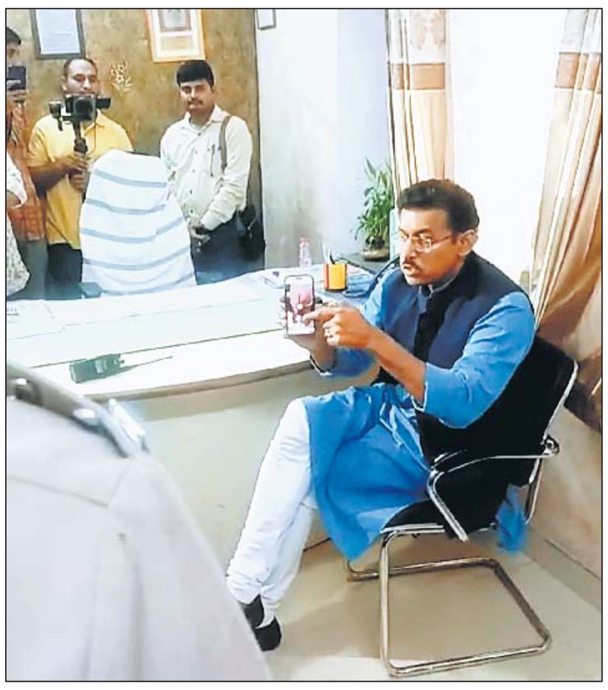

जयपुर के शिप्रा पथ थाने में पुलिसकर्मियों द्वारा सेना के कमांडों से मारपीट करने की घटना से नाराज सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इतने नाराज हुए कि थाने पहुंचकर पुलिसवालों फटकार लगाई।

- जम्मू-कश्मीर में तैनात इस कमांडो की शिकायत पर सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ ने थाने पहुंचकर पुलिस अफसरों को फटकार लगाई
- मंत्री राठौड़ ने मोबाइल में पीड़ित कमांडो के साथ मारपीट के सबूत दिखाए तो ए.सी.पी. संजय शर्मा ने तर्क दिया कि कमांडो ने पुलिसकर्मियों को गाली दी, मुझे भी गाली दी है।
- इस पर मंत्री राठौड़ ने कहा "हम सेना में थे तो लोग हमें भी खूब गाली देते थे, कोई धैर्य, कोई पेशेंस, कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? "
- कर्नल राठौड़ ने कहा कि, "ऐसी घिनौनी मानसिकता वाले लोग समाज के लिए खतरा हैं, राजस्थान पुलिस, ऐसे कार्मिकों की जांच और इलाज करवाएं। देश की रक्षा करने वालों को वर्दी की धौंस दिखाना कायरता है।"

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार शाम को जयपुर शहर में हुई तेज बारिश के दौरान जवाहर सर्किल, मालवीय नगर अंडर पास, सांगानेर क्षेत्र, चौमूं पुलिया, ढेर के बालाजी चौराहा, 9 नंबर और 14 नंबर चौराहे का जायजा लिया।

दो वर्षीय डिप्लोमा धारकों को नियुक्ति देने का आदेश

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी विशेष शिक्षक भर्ती-2022 में स्नातक के साथ दो वर्षीय डिप्लोमा धारकों को नियुक्ति के पात्र मानते हुए अभ्यर्थियों को तीन माह में नियुक्ति देने को कहा है। जस्टिस अनूप ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश हेमलता व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 16 फरवरी 2022 को तृतीय श्रेणी विशेष शिक्षक भर्ती निकाली थी। जिसके पैरा नंबर 6.2 में विशेष शिक्षा में बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित है कि रामलाल पुत्र कानाराम जाट, निवासी ढाणी गणतपुरा, सॉंगानेर, जयपुर के द्वारा ग्राम भापुरा, तहसील सॉंगानेर, जयपुर की भूमि खसरा नम्बर 929 रकबा 0.40 है० सम्पूर्ण को मेरे अभिभाष्य हनुमान सहाय शर्मा पुत्र रामनारायण, निवासी अभयपुरा, सांगानेर, जयपुर से विक्रय करने का सौदा तैय कर आंशिक प्रतिफल राशि प्राप्त कर जरिये इकरारनामा दिनांकित 21.05.2024 बैचान कर कब्जा उक्त क्रेता को सुपुर्द किया हैं। उक्त क्रेता अपने जिम्मे की शर्तों की पालनार्थ तैयार व तत्पर रहा है तथा आज भी हैं तथा विधिक सूचना पत्र दिनांकित 18.07.2024 भी विक्रेता को प्रेषित हैं। मेरा अभिभाष्य सदभावी क्रेता है, जिससे यदि उक्त क्रयशुदा आराजी के संबंध में कोई भी व्यक्ति/संस्था के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई संव्यवहार किया जाता है तो वह क्रेता के हितों के प्रति स्वतः ही अवैध, प्रभावशुन्य, निरर्थक व अमान्य होगा। सूचित रहें।
(दिनेश शर्मा) एडवोकेट, मो.-9119127788

नाम परिवर्तन

मैं अपना नाम अभिषेक कुमार से बदल कर अभिषेक कुमार शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा निवासी 26-ए, निर्मल विहार दादी का फाटक, बेनाड रोड, झोटवाडा, जयपुर भविष्य में मुझे अभिषेक कुमार शर्मा के नाम से जाना जावे।

मैं शोभा सोनी पति अश्विनी गुप्ता निवासी- 136 कृष्णा कॉलोनी रामगढ़ मोड़, जयपुर ने अपने पति की पहली पत्नी निधि गुप्ता की मृत्यु के पश्चात बेटी ऐंजल गुप्ता को गोद लिया है, ऐंजल गुप्ता के समस्त दस्तावेजों में माताजी का नाम निधि गुप्ता से बदलकर शोभा सोनी कर दिया जाए।

खोया पाया

मेरे आवास 46/36, रजत पथ, मानसरोवर जयपुर का मूल नियमितिकरण अदेय प्रमाण पत्र कहीं खो गया है जो कि आवासन मण्डल द्वारा प्रताप सिंह के नाम से जारी हैं कृपया मिलने पर सूचित करें 7726852557

मेरे आवास संख्या 30/56/9, स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर का मूल अदेय प्रमाण पत्र खो गया है मिलने पर सूचित करें मो. 7891994933

आवास संख्या 120/227 मानसरोवर जयपुर का अदेय प्रमाण पत्र गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। नंदना अग्रवाल मो.-9314522791

मेरा प्लॉट नं. ए-223, गली नं.1, राजापार्क, जयपुर जिसका रजिस्टर्ड उपहारपत्र दिनांक 24.01.2024 को पंचवटी सर्किल, राजापार्क के आस-पास कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सूचित करें- जगदीश वरयानी 9352263029

कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
प दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक जयपुर-15)
(राजस्व-द्वितीय प्रकोष्ठ)
क्रमांक-एफ-6( )उपा.-द्वितीय (सा.प्र.)नगनि./2024/798 दिनांक-12/8/24
सार्वजनिक सूचना मूल भूखण्ड संख्या ई-2, अम्बाबाडी, जयपुर का नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा दी जयबैंक कर्मचारी हाउसिंग को आपरेटिव सो० लि० के नाम से क्षेत्रफल 200 वर्गगज भूमि का आवंटन किया गया था। दिनांक 22.03.1991 को श्री महेश मिश्रा पुत्र श्री दीनदयाल मिश्रा बहैसियत अध्यक्ष दी जय बैंक कर्मचारी हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जयपुर द्वारा ई-2. अम्बाबाडी योजना, जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज श्री कुन्दन सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह के नाम से हस्तान्तरण पत्र का निष्पादन किया गया। दिनांक 10.11.1993 को श्री प्रहलाद सिंह, दिनांक 24.11.2014 को श्री कुन्दन सिंह, दिनांक 08.12.2021 को श्रीमती तुलसी, दिनांक 01.03.2023 को श्रीमती राधा देवी एवं दिनांक 14.03.2009 को श्री प्रवीण सिंह की मृत्यु हो गई। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड हस्तान्तरण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा, अण्डरटेकिंग एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का नगर निगम ग्रेटर, जयपुर द्वारा श्री रमेश सिंह एवं श्री ज्ञान सिंह पुत्र स्व. श्री कुन्दन सिंह के पक्ष में क्षेत्रफल 200 वर्गगज का ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण जारी किया जाना है। इस ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने बाबत् किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त राजस्व द्वितीय) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त (राजस्व-द्वितीय) नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 298 / 2024
विषय : उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर आफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी :- नाम दुर्गेश कुमावत पुत्र स्व. श्री प्रेमचन्द कुमावत, आयु 42 वर्ष, निवासी प्लाट नंबर 222, श्रीराम नगर ए, झोटवाडा, जयपुर (राज.)
मृतक प्रेमचन्द कुमावत की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक 25-9-24
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय ने इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम प्रेमचन्द्र कुमावत पुत्र श्री प्रेमचन्द कुमावत, निवासी-प्लाट नंवर 222, श्रीराम नगर ए, झोटवाडा, जयपुर (राज.) का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 12 माह 04 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम
मोहर अदालत
जिला एवं सैंशन न्यायालय
जयपुर महानगर-द्वितीय

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 2348/2019
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
शशांक शरण भटनागर (मृतक)
प्रार्थी नाम 1/1 श्रीमती स्वीटी माथुर पत्नी श्री शशांक भटनागर R/o P.No.-58, जी-1, अर्पित नगर, गांधी पथ, वैशालीनगर, जयपुर
विवाद स्थान..........
मृतक श्री मुनीन्द्र भटनागर की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 23.08.2024
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम मुनीन्द्र भटनागर पुत्र श्री बी.एस.भटनागर निवासी डी-154, दुर्गामार्ग, बनीपार्क, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 23 माह 08 सन् 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 6 माह 8 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
प्रार्थीया ने मृतक मुनीन्द्र भटनागर के नाम प्रा.पत्र में वर्णित शेयर्स बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा है।
आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम
मोहर अदालत
जिला एवं सैंशन न्यायालय
जयपुर महानगर-प्रथम

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 19/24
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम श्रीमती मंजू कंवर उर्फ गुणवंत कंवर पत्नी स्व.हीरालाल उर्फ हीरासिंह राव जाति राजपूत
विवाद स्थान जी.पी.एफ. एवं राज्य बीमा दावा
मृतक हीरालाल राव उर्फ हीरासिंह की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 23.08.2024
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम हीरालाल राव उर्फ हीरासिंह पुत्र लक्ष्मी नारायण राव जाति राजपूत निवासी 162/82 RHB प्रताप नगर सेक्टर-16, सांगानेर जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 23 माह 08 सन् 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 12 माह 6 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
आज्ञा से-शारिस्तेदार
अपर जिला एवं सैंशन न्यायालय
मोहर अदालत
संख्या 10, जयपुर महानगर-प्रथम
न्यायालय सांगानेर

सलूंबर विधानसभा के लिए उपचुनाव की तैयारी शुरू

- कांग्रेस ने बनाई चार नेताओं की कमेटी

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान में होने वाले पांच विधानसभा उपचुनाव के साथ ही सलूंबर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। पांच विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू, दौसा, देवली-उनियारा, खींवसर और चौरासी के लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से पहले से ही कमेटियों का गठन कर दिया गया था। अब सलूंबर विधानसभा क्षेत्र के लिए भी वरिष्ठ नेताओं की कमेटी का गठन कर तैयारी शुरू कर दी गई है।

सलूम्बर विधानसभा उप चुनाव की तैयारी हेतु राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने संगठनात्मक सक्रियता बढ़ाने हेतु चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। राजस्थनान प्रदेश कांग्रेस महासचिव व प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि समिति द्वारा ब्लॉक, मण्डल तथा बूथ कांग्रेस कमेटियों की बैठक ली जाकर क्षेत्र के जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया जायेगा। साथ ही जमीनी स्तर पर संगठन का मतदाताओं से संवाद एवं जुड़ाव हेतु कार्य योजना बनाकर विधानसभा उप चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने हेतु रूपरेखा तैयार की जायेगी। उन्होंने बताया कि सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उप चुनाव में पार्टी संगठन की मजबूती एवं क्षेत्र में जमीनी स्तर तक सक्रियता बढ़ाने हेतु राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र हेतु वरिष्ठ कांग्रेसजनों की चार सदस्यीय समिति का गठन किया है।

गठित समिति में विधायक अर्जुनसिंह बामनिया, उदयपुर देहात जिलाध्यक्ष कचरूलाल चौधरी, उदयपुर से रहे लोकसभा प्रत्याशी ताराचंद मीणा एवं पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा को शामिल किया गया है।

हर जिले में वृद्धाश्रम खोलने को लेकर जानकारी मांगी

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम के तहत हर जिले में 150 लोगों की क्षमता का वृद्धाश्रम खोलने के संबंध में बजट आदि को लेकर दो सप्ताह में जानकारी मांगी है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश लोक उत्थान संस्थान की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि वृद्धाश्रम खोलने के लिए 9 एनजीओ ने आवेदन किया है। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र सोनी ने कहा कि हर जिले में वृद्धाश्रम खोलने के बजट आदि की जानकारी नहीं दी गई है। इस पर राज्य सरकार की ओर से मामले में दो सप्ताह का समय मांगा गया। गौरतलब है कि पूर्व में राज्य सरकार ने शपथ पत्र पेश कर अदालत को जानकारी दी गई थी कि प्रदेश में 40 वृद्धाश्रम और 16 डे केयर सेंटर खोले गए हैं। वहीं पुलिस की ओर से तैयार वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा एप्लिकेशन भी काम कर रही है।

एस.एम.एस. अस्पताल में डॉक्टर्स ने शुरू की हड़ताल

जयपुर,(का.सं.)। सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने आर.जी. के.ए.आर. मेडिकल कॉलेज में हुई भयावह घटना से क्षुब्ध होकर हड़ताल की घोषणा की है। हालांकि इस दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी।

जार्ड की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज जहां एक ऑन-ड्यूटी डॉक्टर के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। हम रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ अटूट एकजुटता के साथ खड़े हैं। राष्ट्रव्यापी फ़ेडरेशन ऑफ़ रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा शुरू की गई हड़ताल के समर्थन में एसोसिएशन और आम सभा की बैठक की सर्वसम्मति के आधार पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर, में तत्काल हड़ताल शुरू करके चरणबद्ध विरोध का प्रस्ताव करते हैं। इस दौरान ओपीडी, ओटी और वार्डों सहित सभी वैकल्पिक और गैर-आवश्यक सेवाओं का निलंबन रहेगा। हालांकि गंभीर रूप से बीमार रोगियों को आपातकालीन सेवाएं मिलती रहेंगी, आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी।

इस मामले में जार्ड पदाधिकारियों ने पारदर्शी जांच सहित सीबीआई को देने की मांग की है। इसी के साथ जिम्मेदार अधिकारियों का इस्तीफे सहित सभी अधिकारियों के निलंबन की मांग की है। इसके साथ ही परिजनों को पर्याप्त मुआवजे की मांग भी की है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के निर्देश

जयपुर। प्रदेश में अतिवृष्टि की स्थिति को देखते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा शहरों और गांवों में निर्बाध पेयजल आपूर्ति और पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान किये गए हैं। विभागीय अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति में पेयजल की सुचारू आपूर्ति के लिए सभी व्यवस्थाएं पुख्ता करने के लिए कहा गया है।

विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने इस संबंध में सोमवार को वीसी के माध्यम से बैठक लेकर सभी मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये। उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान बिजली लाइनों के क्षितग्रस्त होने की संभावना के चलते जलापूर्ति बाधित होने की आशंका बनी रहती है। इस स्थिति से बचने के लिए जेनरेटर सेट किराए पर लिए जाएं तथा वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर पानी के टैंकरों की तैनाती की जाए। साथ ही विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों के साथ समन्वय कर बिजली आपूर्ति में किसी भी तरह की रुकावट होने पर तुरंत आपूर्ति बहाल किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि बाढ़ के जल की निकासी के लिए डीजल और बिजली से चलने वाले पंपिंग सेटों को चालू हालत में रखा जाए।

नम्बर मिलाइए
9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

सैलरी 1,30,000 रुपए प्रति माह से शुरू*

रिक्तियों की संख्या – 5000**

पात्रता मापदंड

लिंग – पुरूष और महिला | **उम्र:** 25 - 45 वर्ष | **हाइट/वजन:** न्यूनतम 5 फीट/45 किलोग्राम या अधिक

न्यूनतम योग्यता – 10वीं पास | **पासपोर्ट की वैधता:** न्यूनतम 3 वर्ष | **अंग्रेजी की आवश्यकता:** अच्छी/बेसिक

एक्सपीरियंस, डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन

- केयरगिवर सर्विस प्रदान करने में योग्यता प्राप्त हो तथा किसी सक्षम इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा जारी सर्टिफिकेट हो, जो कम से कम 990 घंटों (ओजेटी सहित) का केयरगिवर कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने को दर्शाता हो, जो प्रासंगिक इंडियन अथॉरिटी द्वारा मान्यता प्राप्त या पर्यवेक्षित हो, या किसी भारतीय प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रदान की गई नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, नर्स असिस्टेंट या दाई (मिडवाइफरी) का प्रशिक्षण पूरा करने का डिप्लोमा हो, जो प्रासंगिक इंडियन अथॉरिटी द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
- जीडीए/एएनएम/जीएनएम/बीएससी नर्सिंग/पोस्ट बीएससी नर्सिंग

कृपया ध्यान दें:

- यह महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवार ने पहले कभी इजराइल में काम न किया हो/वर्तमान में उसका जीवनसाथी, माता-पिता या बच्चे इजराइल में काम या रह न रहे हों।
- चयन और अस्वीकृति का निर्णय विशेष रूप से इज़रायली नियोक्ता (इम्प्लॉयर) द्वारा किया जाएगा।
- एनएसडीसी केयरगिवर वर्कर्स का नियोक्ता (इम्प्लॉयर) नहीं है, एनएसडीसी केवल सुविधाप्रदाता (फैसिलिटेटर) है।

यह इज़रायल के न्यूनतम वेतन के अनुसार है।
यह इज़रायल से प्राप्त वर्तमान मांग के अनुसार है।

cbc 63113/15/0002/2425

ईमेल आईडी: contact@nsdcinternational.com आवेदन करने के लिए, QR कोड स्कैन करें